कुक्कुट पालन सहयोग समिति लि० की उप-विधियाँ

1. वह समिति जो झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (1935 के ऐक्ट 6) के अनुसार रजिस्टर्ड हुई है.....कुक्कुट पालन सहयोग समिति, लि० कहलायेगी, आगे इसे केवल समिति के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. (क) समिति का रजिस्टर्ड ऑफिस वर्त्तमान में .....।
डाकघर..... थाना.....
प्रखण्ड ..... जिला.....
.....में रहेगा।

(ख) रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह बदल जाने पर इसकी सूचना रजिस्ट्रार, सहयोग समिति, झारखण्ड को-ऑपरेटिव फेडरेशरन और अर्थ-प्रबन्ध बैंक को पन्द्रह दिनों तक के भीतर दी जायेगी।

3. **उद्देश्य-** समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

(1) सदस्यों को कुक्कुट उद्योग में दिलचस्पी दिलाना और कुक्कुट पालन में उनकी सहायता करना।

(2) अच्छी नस्ल के कुक्कुट, बत्तख आदि एवं अंडे खरीदना एवं सदस्यों को देना।

(3) नस्ल सुधारने के लिए अच्छी किस्म के मुर्गे पालना।

(4) सदस्यों द्वारा उत्पादित अंडे एव मुर्गी आदि को खरीदने तथा बेचने के हेतु प्राप्त करना और उन्हें अधिक-से-अधिक मुनाफे पर बेचना।

(5) समिति के कार्य के हेतु निधि संचय करना।

(6) अपने सदस्यों के हेतु बिक्री के लिए या भाड़े पर लगाने के लिए कुक्कुट उद्योग में व्यवहार होने वाली उन्नत मशीनों एवं सामानों को खरीदना या प्राप्त करना।

(7) इन उप-विधियों के अनुसार सदस्यों को कुक्कुट पालन के लिए एडवांस मंजूर करना।

(8) समिति को व्यापार चलाने के लिए तथा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए कुक्कुट फार्म की स्थापना करना तथा चलाना।

(9) आवश्यक शेडों के लिए जमीन खरीदना, भाड़े पर लेना या और किसी तरह प्राप्त करना।

(10) मुर्गी ,बत्तख आदि पालने और रखने के लिए मकान बनाने के सस्ते सामानों को खीरदना तथा प्राप्त करना।

(11) समिति तथा इसके सदस्यों के लिए थोक दर पर आवश्यक सामानों और मुर्गी आदि के लिए सस्ते खाने के सामानों को खरीदना।

(12) कुक्कुट के रोग के इलाज का प्रबन्ध करना।

(13) सदस्यों को कुछ बनाने की आदत डालने के लिए सूद पर जमा स्वीकार करना।

(14) सदस्यों में मितव्वयिता, स्वावलम्बन और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना तथा समिति के उद्देश्यों एवं सदस्यों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति से सम्बन्धित या उन्हें बढाने वालों सभी चीजों को करना।

4. **कार्य क्षेत्र-** समिति का कार्य क्षेत्र.....पंचायत में सीमित रहेगा।

5. **हिस्सा पूँजी-** समिति का हिस्सा पूँजी 1,00000 रुपये की होगी जो 10,000 हिस्सों में बँटी रहेगी। एक हिस्सा का मूल्य 10 (दस) रुपया होगा, जो केवल सदस्य खरीदेगा। समिति की पूँजी किसी समय भी आम सभा में ऐसे प्रस्ताव पास करके बढ़ायी जा सकती है, बशर्ते कि काम में लाने के पहले ऐसा परिवर्तित नियम के रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार सहयोग समिति से करा ली गई है।

6. **निधि-** समिति कार्य संचालन के लिए निम्नलिखित उपायों से निधि एकत्र करेगी।

(1) हिस्सा द्वारा;

(2) सदस्यों से चन्दा लेकर;

(3) कर्ज लेकर या सदस्यों से जमा लेकर;

(4) अर्थ प्रबन्ध बैंक और रजिस्ट्रार, सहयोग समिति के द्वारा बनाने गये नियमों के अन्तर्गत जमा और ऋण द्वारा।

7. वे व्यक्ति जो समिति के कार्य के भीतर वास करते हों या जायदाद रखते हों, 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो, सच्चरित्र हों तथा मुर्गा-मुर्गी, बत्तख इत्यादि पालते हो, समिति के सदस्या हो सकते है।

8. (1) (क) निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सदस्य होंगे जो उप-विधि 7 के अनुसार सदस्यता के योग्य हों और रजिस्ट्री होने के दरखस्त में शामिल हुए हों जिन्होंने एक रुपया प्रवेश शुल्क दिया हो और कम-से-कम हिस्सा को खरीदा हो, अथवा

(ख) वे व्यक्ति जो इस उप-विधि के अनुसार प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा भर्ती हुए हों।

(2) प्रवेश चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति प्रबन्धकारिणी कमिटी के पास छपे हुए फारम पर दरखास्त देंगे जो उचित जाँच-पड़ताल के बाद उनकी दरखास्त को मंजूर अथवा नामंजूर कारण बताते हुए करेगी। प्रबन्धकारिणी कमिटी निर्णय होने के एक पखबारे के अन्दर आवदेक को निर्णय की सूचना दे देगी। नामंजूर की अवस्था में ऐसे व्यक्ति की निर्णय की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर निबन्धक सहयोग समितियाँ के समक्ष अपील करने का अधिकार हेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) कोई व्यक्ति समिति के सदस्य होने योग्य नहीं होगा, यदि

(1) वह अठारह वर्ष से कम उम्र का है,

(2) वह समिति का अथवा सम्बद्ध करनेवाली समिति का वेतन भोगी कर्मचारी है:

(3) वह पागल है;

(4) उसने दिवालिया या शोधनाक्षम (इन्सोलभेन्ट) न्याय निर्णीत होने के लिये आवेदन किया है या वह अप्रमाणित दिवालिया है या अनुमुक्त शोधनाक्षम (इन्सोलभेन्ट) है।

(5) उसे राजनितिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिये सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिये सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अन्तर्गत करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गई हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर लिया गया हों। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से 5 वर्ष के बाद से नहीं होगी।

9. कोई भी सदस्य, अगर वह कम-से-कम एक वर्ष तक सदस्य रह चुका हो और उस पर समिति का पावना न हो, समिति की प्रबन्धकारिणी कमिटी को तीन माह की अग्रसूचना देकर सदस्यता से अलग हो सकता है।

10. **सदस्यता की समाप्ति-** निम्नलिखित कारणों से सदस्यता समाप्त हो जायगी-

(क) समिति से निकाले जाने पर,

(ख) दिवालिया हो जाने पर,

(ग) मृत्यु होने पर,

(घ) उन्मादता,

(ड़) त्याग पत्र दे देने पर, यदि प्रबन्धकारिणी कमिटी ने स्वीकार कर लिया हो, और

(च) कार्य क्षेत्र से निवास हटा लेने पर।

11. **सदस्यों का निष्कासन-** प्रबन्धकारिणी कमिटी खुली जाँच के बाद किसी सदस्य को जुर्माना, मुअत्तल या निष्कासित कर सकती है, यदि

(1) उसने समिति की उपविधियों या नियम का पूरी तरह उल्लघंन किया है,

(2) उचित रुप में अग्रसूचना दिये जाने के उपरान्त भी समिति का ऋणी हो,

(3) कोई इस प्रकार का आचरण रहने पर जो प्रबन्धकारिणी कमिटी की समझ में समिति की आर्थिक अवस्था को दुर्बल कर सकता है या इसको अपमानित कर सकता है।

इस तरह के (जुर्माना, मुअत्तल एवं निष्कासन सम्बन्धी) सभी मामले अगामी आम-सभा में संपुष्टिकरण के लिए रखे जायेंगे। मुअत्तल की अवधि में सदस्य सदस्यता के सभी अधिकार से वंचित रहेगा तथा उसे कोई लाभांश भी नही दिया जायगा।

12. **हिस्से-** हिस्से के लिए आवेदन-पत्र लिखकर दिया जायगा और प्रबन्धकारिणी कमिटी उसका निस्तार करेगी।

13. प्रत्येक हिस्से का मूल्य 10 (दस) रुपये होगा। कोई भी सदस्य 100 या कुल हिस्से पूंजी का पाँचवा अंश जो भी कम हो, से अधिक हिस्सा नहीं खरीद सकता है। हिस्से का मूल्य एक मुस्त देना होगा।

14. (क) हिस्सेदारी का दायित्व उसके खरीद हुए हिस्से के पाँच गुणे तक समिति रहेगा।

(ख) विगत सदस्य या मृत सदस्य को जायदाद का दाचित्व समिति के उन ऋणों के लिए जो सदस्यता से हटने या मृत होने की तिथि तक थे, ऐसी तिथि से दो वर्ष तक रहेगा।

15. कोई भी सदस्य अपने हिस्से को एक वर्ष रखने के बाद दूसरे सदस्य को तीन महीने की सूचना देकर प्रबन्धकारिणी कमिटी के अनुमोदन पर हस्तांतरित कर सकता है हस्तांतरण का कार्य उस समय तक पूर्ण न होगा, जब तक हिस्सा बही में उस व्यक्ति को जिसके साथ हिस्सा हस्तांतरित किया गया हो, नाम दर्ज न हो जाये।

16. प्रत्येक सदस्य को समिति की मोहर लगा एक प्रमाण-पत्र लेने का अधिकार होगा, जिसमें उसके द्वारा खरीदे हुए हिस्से का विशेष रुप से वर्णन होगा। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र खो या नष्ट हो जाये तो एक रुपया पर नवीन प्रमाण-पत्र दिया जायगा।

17. समिति का कोई भी सदस्य अपने हाथ से लिखकर किसी भी व्यक्ति को (समिति के कर्मचारी या अफसर को छोड़कर जब तक कि वह वैध उत्तराधिकारी न हो) नामजद कर सकता है, जिससे उसके मरने के बाद समिति से मिलने वाले पावना का पूरा या अंश दिया जाय।

18. (क) उप-विधि 9 और 10 के अनुसार सदस्यता से हटने पर, सदस्य के हटने के छः महीने के भीतर उसके हिस्से की रकम अदा कर दी जायगी।

(ख) सदस्य की मृत्यु की अवस्था में उसके हिस्से या समिति की पूंजी में लगा उसके अंश के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कार्रवाई झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (ऐक्ट 6, 1935) की धारा 4 के अनुसार की जायगी।

19. आम-सभा समिति का सबसे बड़ा अधिकार इसके सदस्यों को आम'सभा में निहित होगा। आम-सभा तीन तरह की होगी।

(क) साधारण (वार्षिक),

(ख) असाधारण, और

(ग) विशेष।

साधारण आम-सभा- साधारण (वार्षिक) आम-सभा सहकारी वर्ष समाप्त होने के छः महीने के भीतर होगी। आम-सभा के बुलाये जाने की निच्चित तिथि के पहले तक यदि स्टेटुटरी औडिट रिपोर्ट बैलेंन्स शीट के साथ औडिटर के द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी हो तो मुनाफे की बात को छोड़कर साधारण आम-सभा के सभी कार्य जैसा कि उप-विधि 22 में दिये गये हैं, सभा में कर लिये जायेंगे तब मुनाफे और औडिट रिपार्ट पर विचार असाधारण आम-सभा में, जो इसी निमित बुलायी जायगी या आगामी साधारण आम-सभा में होगा।

असाधारण आम-सभा- असाधारण आम-सभा प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा किसी भी समय या समिति के कुल सदस्यों के तीसरे हिस्से की लिखित मांग पर एक महीने के भीतर बुलायी जा सकती है।

विशेष आम-सभा- विशेष आम-सभा रजिस्ट्रार, सहयोग समिति या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी की लिखित मांग पर समिति के प्रधान कार्यालय मे मांग-पत्र उल्लिखित समय और स्थान पर बुलायी जायगी। निबन्धक अथवा उनके द्वारा अधिकुत व्यक्ति की आज्ञा प्राप्ति के 21 दिनों के अन्दर मंत्री विशेष आम-सभा बुलाने को बाध्य होगें यदि मंत्री आम सभा नही बुलावे तो निबन्धक अथवा अधिकृत व्यक्ति सदस्यों को 15 दिनों की सूचना देकर खुद सभा बुला सकते हैं। ऐसी विशेष आम-सभा के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

आम-सभा के लिए सूचना- किसी भी साधारण या विशेष आम-सभा के लिए 15 दिनों की सूचना दी जायगी। सूचना-पत्र में सभा का समय और स्थान साफ-साफ लिखा रहेगा।

20. समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार होगा। प्रति-पत्री (प्रौक्सी) के द्वारा वोट स्वीकृत नही होगा। दोनों पक्षों में बराबर वोट हो जाने से सभापति-को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। सभी प्रश्नों के निर्णय के लिए बहुमत अभिभावी (मान्य) होगा।

21. **कोरम-** सभी आम-सभाओं में समिति के कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या कोरम होगी। यदि सभा विशेष आम-सभा रहे और निश्चित समय के एक घंटा के भीतर कोरम पूरी न हो तो सभापति उसे विघटित कर देंगे। यदि यह एक साधारण आम-सभा या असाधारण आम-सभा हो तो वह उसे कम-से-कम 7 दिनों और अधिक-से-अधिक 21 दिनों तक स्थगित कर देंगे। इस प्रकार की स्थगित सभा के सभी कार्यक्रम वे ही रहेंगे जो पहले निच्चित थे। कार्यक्रम में कुछ हेरफेर नहीं किया जायेगा। अगर इस प्रकार की स्थगित सभा में भी कोरम पूरा नहीं हो तो कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों की तीन-चौथाई संख्या से पास होगा।

22. **साधारण आम-सभा के कार्य-** वार्षिक आम-सभा समिति के कार्यों का निरीक्षण करेगी विशेष रुप से प्रबन्धकारिणी कमिटी के कार्यों को देखेगी। समिति की भलाई के लिए आवश्यक समझे जानेवालें सभी कार्यों को करने में समर्थ होगी। वार्षिक आम-सभा के कार्य ये होगे:

(1) सभा के लिये एक चेयरमैन चुनना।

(2) कमिटि द्वारा उपस्थापित वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, गत वर्ष के बैलेन्स शीट को पास करना तथा मुनाफे क निस्तार पर विचार करना। यदि स्टेटुटरी औडिट रिपोर्ट बैलेन्स शीट के साथ प्रस्तुत न हो तो मुनाफे के वितरण पर विचार असाधारण आम सभा में जो इसी निमित बुलायी जायगी या आगामी साधारण आम-संभा में होगी।

(3) समिति के ऑफिसरों के कार्यों को देखना तथा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों को सुनना एवं उनपर विचार करके फैसला देना।

(4) आगामी वर्ष के लिए वार्षिक आय-व्यय के बजट पर विचार करना।

(5) आगामी वर्ष में समिति की ओर से प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा लेने वाले जमा और कर्ज की रकम की सीमा तथा उसके ब्याज की दर नियत करना।

(6) आगामी वर्ष के लिए उपविधि 23 के अनुसार मंत्री, सभापति तथा अन्य

पदाधिकारियों को लेकर प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्यों को इस सिद्धांत पर चुनना कि कमिटी के एक-तिहाई सदस्य पारी-पारी से प्रत्येक वर्ष हट जायेंगे और बचे हुए सदस्यों को दूसरी पारी के लिए पद पर बने रहने के लिए छोड़ देंगे। चुनाव होने के पहले आम-सभा के द्वारा हटने वाले सदस्यों के नाम सभा में निश्चित एवं सूचित किये जायेंगे।

(7) समिति की आर्थिक अवस्था से सम्बन्ध रखनेवाली सभी विषयों पर विचार करना तथा उसके और समिति के कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करना।

(8) प्रबन्धकारिणी कमिटी के फैसले के विरुद्ध आयी अपील की सूचना एवं उस पर फैसला देना।

(9) यदि आवश्यक समझा जाये तो सदस्यो के बीच से ही भीतरी औडिट के लिए औडिटर या औडिटरों का निर्वाचन करना।

(10) इन उपविधियों में संशोधन पर विचार करना एवं निर्णय देना।

(11) रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, झारखण्ड के आये पत्रों एवं औडिट मेमोरैंडम या अन्य विषयों पर विचार करना।

(12) समिति का अन्य आम कार्यों का सम्पादन करना।

23. **प्रबन्धकारिणी कमिटी-** प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्यों की संख्या आम-सभा निर्धारित करेगी। परन्तु सभापति और दूसरे पदाधिकारियों को लेकर इसकी संख्या पांच से कम तथा ग्यारह से अधिक न होगी। कम-से-कम आधे सदस्यों का कोरम होगा। सभापति की अनुपस्थित में जो उप-विधि 22 (6) के अनुसार निर्वाचित हुए है प्रबन्धकारिणी कमिटी अपना एक सभापति चुन लेगी, जिन्हें अपने वोट के अतिरिक्त निर्णयक वोट देने का अधिकार होगा। प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा, जिसमें एक पद अनुसूचित जाति की महिला एवं एक पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा।

24. आम-सभा के प्रस्ताव एवं उप-विधियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी कमिटी को समिति के कार्यों को करने का पूरा अधिकार होगा।

25. (क) व्यक्ति प्रबन्धकारिणी कमिटी का सदस्य निर्वाचित होने योग्य नहीं होगा यदि-

(1) वह समिति का सदस्य नहीं है, अथवा

(2) वह समिति के ऋण या चुनाव के दिन किसी भी दूसरी निबन्धित समिति का बाकीदार हो, अथवा

(3) उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से समिति के साथ चालू ठीका या समिति

द्वारा बेचे या खरीदे जाने वाले किसी जायदाद या किसी लेने-देने में, समिति में धन लगाने या उससे कर्ज लेने को छोड़कर हित हो, अथवा

(4) उसके विरुद्ध अधिभार (सरचार्ज) की कार्यवाही या समिति के किसी लेन-देन सम्बन्धी जाँच लम्बित हो।

(ख) प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्य प्रत्येक वर्ष अपने पद से हट जायेंगे परन्तु पुननिर्वाचित होने के अधिकारी होंगे।

(ग) प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्य कमिटी के सदस्य नही रह सकेंगे यदि-

(1) वे समिति का सदस्य नहीं रह जाते हों, अथवा

(2) उनमें उप-विधि 25 (क) एवं 8 (3) में दी गई अयोग्यताओं में से कोई भी आयोग्यता आ जाये।

(घ) यदि कमिटी का कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हट जाता है या लगातार तीन सभाओं में नहीं आता है तो कमिटी आम सदस्य के बीच से किसी को उसके स्थान पर आगामी चुनाव तक के लिए नियुक्त कर सकती है।

26. मंत्री कमिटी का एक मिनट बही रखेगा जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों के नाम तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाही लिखा जायगा। बैठक की कार्यवाही पर सभापति तथा कमिटी के उपस्थित सदस्य का दस्तखत रहेगा। रुपये के सम्बन्ध में रखने वाले सभी कार्यों के प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष में पड़ने वाले प्रत्येक सदस्य का मत लिखा जायगा।

27. सभापति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कमिटी की ऐसी बैठक में जिससे उसके निजी हित तथा उसके चरित्र के सम्बन्ध में विचार-विमर्श होता हो, उपस्थित नहीं होगा।

28. प्रबन्धकारिणी कमिटी के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे।

(1) हिस्से के बटवारे और सदस्यता के लिए दी गई दरखास्तों पर विचार करना एवं फैसला देना,

(2) सदस्यों के त्याग-पत्र पर विचार करना एवं फैसला देना,

(3) इन उप-विधियों के अनुसार भूतपूर्व सदस्यों की हिस्सा पूंजी को वापस करने की मंजूरी देना।

(4) इस उप-विधियों के अनुसार निधि एकत्र करना,

(5) इन उप-विधियों के अनुसार सदस्यों को उचित जमानत पर अग्रिम देना तथा

उसके लौटाने की किस्तों को नियत करना,

(6) अपने सदस्यों के व्यवहार के लिए अण्डा सेने का यंत्र, दूसरे-दूसरे यंत्र तथा कुक्कुट उद्योग से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य सामग्रियों को प्राप्त करना, खरीदना या किराये पर लेना,

(7) समिति में बेचने के लिए सदस्यों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का मूल्य समय-समय पर नियत करना।

(8) सदस्यों द्वारा मुर्गे बत्तख आदि पाले जाने के लिए आवश्यक सामानों को प्राप्त करना और सदस्यों की देना या सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध करना,

(9) कमीशन तथा अन्य चीजों की नियत करना जो समिति के द्वारा होनेवाले व्यापार के सम्बन्ध में लेगी,

(10) समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों को रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा समय-समय पर दिये अनुदेशों की सीमा के अन्दर बहाल करना, मुअतल करना या बरखास्त करना,

(11) समिति सम्बंधित शिकायतों को सुनना एवं फैसला देना,

(12) वार्षिक बैलेन्स शीट तैयार करना,

(13) झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (एक्ट 6, 1935) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा इन उप-विधियों के अनुसार समिति के कार्यों के लिए नियम बनाना।

(14) मुकदमा आरम्भ करना एवं पैरवी सुलह करना,

(15) आम-सभा के प्रस्तावों एवं इन उप-विधियों के अनुसार समिति के कार्यों का संचालन करना।

29. प्रबन्धकारिणी कमिटी के पदाधिकारी एवं समिति के कर्मचारियों के कर्त्तव्य प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा निर्धारित किए जायेगें।

30. प्रबन्धकारिणी कमिटी के फैसले के विरुद्ध अपील आम-सभा में होगी।

31. (क) उन सभी कागजों एवं दस्तावेजों पर, जिनमें समिति की चार्जों और प्रमाणों का वर्णन रहेगा, सभापति और मंत्री या प्रबन्धकारिणी कमिटी के तीन सदस्य को हस्ताक्षर होगा।

(ख) सभापति या मंत्री तथा प्रबन्धकारिणी कमिटी के दो सदस्य किसी भी मूल के चेको या पे ऑडरों पर हस्ताक्षर कर सकते है।

(ग) जिस हद तक प्रबन्धकारिणी कमिटी अधिकार दे, अवैतनिक मंत्री चेको या पे ऑडरो पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

(घ) जमा या कर्ज की सभी रसीदों पर सभापति या मंत्री या कोई भी व्यक्ति जिसे प्रबन्धकारिणी कमिटी ने इसके लिए अधिकार दिया हो, हस्ताक्षर कर सकता है।

32. **मुहर-** प्रबन्धकारिणी कमिटी समिति के कामों के लिए मुहर का प्रबन्ध करेगी जो मंत्री को देख-रेख में रहेगी।

33. **व्यापार-** प्रबन्धकारिणी कमिटी कुक्कुटों और उनके बच्चों तथा अंडो के लिए जमीन, मकान, दुकान या गोदाम प्राप्त कर सकती है, बनावा सकती है या किराये पर ले सकती है।

34. **साधारणत** सभी विक्रियाँ नगद रुपये पर की जायगी। कमिटी, रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटिज की पूर्व अनुमति के बाद, उधार बिक्री के नियम विहित कर सकती है।

35. कुक्कुटों या उनकी पैदावार के दाम या किस्म के या समिति के ऑफिसर या कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई सभी शिकायतें प्रबन्धकारिणी कमिटी में फैसले के लिए पेश की जायगी।

36. समिति केवल सदस्यों से जमा उस हद तक जिस हद तक आम-सभा ने इन नियमों के अन्दर निश्चय किया हो और ऐसे प्रकार से जो रजिस्ट्रार, सहयोग समितियों ने निश्चित किया हो, ले सकती है। इस प्रकार के जमा पर सूद की दर रजिस्ट्रार के आदेशों को ध्यान में रखकर, समय-समय पर निश्चित करेगी।

37. समिति निम्नलिखित बहियाँ रखेगी।

(1) सदस्य बही,

(2) हिस्सा बही,

(3) कमिटी की सभाओं की मिनट बही,

(4) आम-सभा की मिनट बही,

(5) कैश बही,

(6) लेजर बही,

(7) बिक्री बही,

(8) स्टॉक बही या कोई बही या किताब जिसे कमिटी मंजूर किया है जो जरुरी है।

38. समिति का लेखा (एकाउंटस) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बन्द होगा।

39. (क) समिति का स्टेटुटरी ऑडिट झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (ऐक्ट 6, 1935) तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार होगा।

(ख) स्टेटुरी ऑडिट के अतिरिक्त समिति के लेखाओं की जांच जब कभी भी कमिटी चाहे आम-सभा के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा हो सकती है।

40. प्रबन्ध सम्बन्धी स्थापना या अन्य प्रासांगिक व्ययों के बाद का शेष शुद्ध लाभ समझा जायेगा, जिसका वितरण आम-सभा द्वारा इस प्रकार एवं निम्नलिखित क्रम से होगा।

(क) 35 प्रतिशत रिजर्व फण्ड में जायेगा,

(ख) $9\frac{3}{8}$ प्रतिशत चुकता हिस्सों पर लाभांश,

(ग) सदस्यों के समिति में बिक्री किए हुए अंडों, चिड़िया इत्यादि के अनुपात में आम-सभा निश्चित दर से बोनस दिया जा सकता है,

(घ) समिति के अवैतनिक पदधारियों को मानदेय (ओनोरेरियम) जो आम-सभा रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के अनुमोदन से स्वीकृत करें,

(ड़) आम-सभा द्वारा निर्धारित सीमा तक समिति के कर्मचारियों को बोनस परन्तु यह कर्मचारियों का एक महीना के वेतन से अधिक न होगा,

(च) आम-सभा द्वारा निर्धारित कोई अन्य दान के लिए फंड,

(छ) उपर्युक्त के बाद जो शेष बचे वह रिजर्व फंड में या दूसरे वर्ष के लाभ में आम-सभा के फैसले के अनुसार जायेगा। हिस्सों के रुपये का डिविडेण्ड (लाभांश) तथा रिबेट (छूट) जो एक वर्ष के अन्दर नहीं लिया जायगा, सदस्यों के लेखा में जमा करा दिया जायगा।

41. (क) शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत।

(ख) समिति बनाने के हेतु प्रारम्भिक व्ययों को काटकर प्रवेश शुल्क,

(ग) बिना दावा के जब्त किये हिस्सों के मूल्य, नवीनकरण शुल्क या कोई अन्य शुल्क,

42. **रिजर्व फण्ड के प्रयोजन-** रिजर्व फण्ड निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए उपलब्ध होगाः

(1) किसी भी परोक्ष स्थिति के उत्पन्न होने से जो क्षति होगी उसे रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की पूर्व स्वीकृति से पूरा करने के हेतु इसकी पूति आगे प्राप्त होने वाले लाभ से कर दी जायगीः

(2) समिति की किसी ऐसे कमी की पूर्ति जिसकी पूर्ति के हेतु अन्य उपायों से नहीं हो सकती है यह कमी नवीन संग्रह से पुनः पूरी कर दी जायगी।

(3) समिति के किसी ऋण के लिए जमानत के हेतु समिति के विघटन की अवस्था में रिजर्व फण्ड रजिस्ट्रार के अनुमोदन तथा सदस्यों के बहुमत से को-ऑपरेटिव मूवमेंट की भलाई के कार्यों में लगाया।

43. कोई भी विवाद जिसका निर्णय आम-सभा या मध्यस्थता के द्वारा नहीं किया जा सकता हो, रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के पास भेजा जायगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

44. रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के अनुमोदन से यदि कुल सदस्यों की संख्या के तीन-चौथाई सदस्य साधारण आम-सभा में उपस्थित होकर (जो इस निमित बुलाई जायेगी) विघटन के पक्ष में वोट दे तो समिति विघटित कर दी जायगी

45. कोई भी उप-विधियाँ (बाइ-लॉज) आम-सभा के द्वारा बदली या हटायी जा सकती है अथवा नयी उप-विधियाँ बनायी जा सकती है। ऐसी बदली, हटाई या नयी बनाई गई उप-विधियाँ रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा स्वीकृत एवं रजिस्ट्री कर देने पर हो चालू होगीः

46. समिति झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (ऐक्ट 6, 1935), उसके संशोधन या उनके अन्तर्गत बने नियमों एवं इन उप-विधियो (बाइ-लॉज) को एक-एक प्रति रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी। कोई भी सदस्य बिना किसी चार्ज के इन्हें उचित समय पर ऑफिस में देख सकती है।

47. उन सभी बातों का निर्णय जिनकी जिक्र इन उप-विधियों में नहीं है, झारखण्ड को ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (ऐक्ट 6, 1935) तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार होगा।